संख्या– 12/2024/2573/35-4-2023/35-4099/253/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 16 जनवरी, 2024

विषय:- जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, समसल्लीपुर, फूलपुर, पवई, आजमगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद- आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र, फूलपुर, पवई में राजकीय पॉलीटेक्निक, समसल्लीपुर, फूलपुर, पवई, आजमगढ़ के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश सं0- 18/2020/257/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुमोदित लागत रू0 1859.88 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0- 108/2021/1171/35-4-2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0. 729.94 लाख एवं शासनादेश सं0- 365/2022/1356/35-4-2022/001-35-4099/97/2021, दिनांक 04.11.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 464.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार अब तक रू0 1394.91 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

शासनादेशसं0- 914/2023/2986/35-4-2023/35-4099/97/2021/टीसी253/2023, दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग की संस्तुति पर मिट्टी भराई के अतिरिक्त कार्य को सम्मिलित करते हुये परियोजना को रू0 2318.46 लाख (रूपये तेइस करोड़ अठारह लाख छियालिय हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किया गया है।

जिलाधिकारी, द्वारा पत्रांक- 831/डी0एस0टी0ओ0/2023-24, दिनांक 04.10.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 77.55 प्रतिशत धनराशि व्यय होना इंगित करते हुये धनराशि रू0 464.97 की मांग की गयी है। एतद्द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 464.97 लाख (रूपये चार करोड़ चौंसठ लाख सतानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, पवई, फूलपुर, आजमगढ़ का भवन निर्माण कार्य।	1859.88	2318.46	1394.91	464.97

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020; दिनांक 29.07.2021 एवं दिनांक 04.11.2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,64,97,000/- (रूपये चार करोड़ चौंसठ लाख सत्तान्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 42020210403030 2 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 12/2024/2573(1)/35-4-2023/35-4099/253/2023, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ0प्र0 ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़ ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़ ।
14. परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़ इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,आजमगढ़ ।
15. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**